झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

रिट याचिका (सिविल) सं0 4899 वर्ष 2017

अमित कुमार सिन्हा पुत्र श्री अरूण कुमार सिन्हा, निवासी मोहल्ला- शांतिपुरी डाकखाना तथा थाना डालटनगंज, जिला-पलामू

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य, द्वारा सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग नेपाल हाउस, डाकखाना तथा थाना डोरंडा जिला-राँची
2. खान निदेशक, नेपाल हाउस, डाकखाना तथा थाना डोरंडा जिला-राँची
3. अपरनिदेशक खान नेपाल हाउस, डाकखाना तथा थाना डोटंडो जिला- राँची
4. जिला खनन अधिकारी, मेदिनी नगर, पलामू डालटनगंज जिला- पलामू

..... उत्तरदातागण

कोरमः **मा0 श्री न्यायमूर्ति सुजित नारायण प्रसाद**

मा0 श्री न्यायमूर्ति नवनीत कुमार

याचिकाकर्ता के लिए : श्री कांति कुमार ओझा, अधिवक्ता

श्री सहजानंद सरस्वती, अधिवक्ता

उत्तरदातागण के लिए : श्री मोहन कुमार दूबे, एसी से एजी

<u>कम से कम एक जज द्वारा दिया गया मौखिक निर्णय</u>

<u>08/दिनाँकः 05 दिसम्बर 2023</u>

द्वारा सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायमूर्ति-

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत रिटयाचिका को इस प्रकार किये गये आवेदन दिनाँक 10-05-2007 एवं 08-07-2007 आवेदन के आधार पर याचिकाकर्ता के पक्ष मे पुर्वेक्षण अनुज्ञप्ति देने के संबंध मे याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए उत्तरदातागण को समादेश द्वारा निदेश की माँग रखते हुए दाखिल किया गया है।

2. रिट याचिका मे किये गये अभिवचनो के अनुसार मामले का संक्षिप्त तथ्य जिसका परिगणन किया जाना आवश्यक है, निम्नवत पठित हैः

बिहार राजपत्र मे प्रकाशित विज्ञापन दिनाँक 06-08-1986 के अनुसरण मे याचिकाकर्ता ने सभी अपेक्षित वस्तुओ जैसा खनिज छूट नियमावली 1960 के प्रावधान के अन्तर्गत उपबंधित है के साथ पलामू जिला के अन्दर मौजा रबदा तथा हुरमुर मे स्थित 55.22 एकड. भूमि के क्षेत्रफल के लिए प्रमाणित खनिज डोलोमाइट तथा मैग्नेटाइट हेतु खनन पट्टा देने हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत किया था।

पत्र दिनाँक 481 दिनाँक 28-09-2010 द्वारा जांच तथा सत्यापन करने के बाद याचिकाकर्ता का मामला आवश्यक कार्यवाही हेतु उपायुक्त, पलामू द्वारा उत्तरदाता सं0 01 को सुपुर्द किया गया था। मामला उत्तरदाता सं0 01 द्वारा स्वीकार किया गया था तथा फिर भी पत्र सं0 2288 दिनाँक 16-12-2010 द्वारा याचिकाकर्ता को इसके उत्सुकता के बारे मे बताया गया था कि क्या वह प्रश्नगत भूमि के संबंध मे पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति हेतु हितबद्ध है या नही। पत्र दिनाँक 16-12-2010 द्वारा याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन दिनाँक 29-03-2011 द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की अपनी उत्सुकता व्यक्त किया था।

आरंभ मे याचिकाकर्ता ने उक्त खनिज डोलोमाइट तथा मैग्नेटाइट हेतु खनन पट्टा देने के लिए आवेदन किया था तथा प्रयुक्त क्षेत्र के अन्तर्गत खनिज मैग्नेटाइट के अनुपलब्धता के कारण इसने उक्त खनिज हेतु पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन नही किया था तथा जिस पर निदेशक खान ने अपने आदेश दिनाँक 21-05-2011 द्वारा याचिकाकर्ता से सत्यापन की माँग किया था।

याचिकाकर्ता ने अपर निदेशक खान झारखण्ड राँची के नाम पत्र सं0 856 एम दिनांक 04.06.2011 के जवाब में अपने आवेदन दिनांक 13.06.2011 द्वारा खनिज डोलोमाइट चूना, पत्थर, ग्रेफाइट तथा मैग्नेटाइट हेतु पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए अपने आवेदन को संशोधित किया था।

फिर भी, मामला 15.06.2011 से 29.07.2011 तक मंत्री के अनुमोदन की मांग करने के आधार पर लंबित था। 04.08.2012 को सभी तकनीकी बिन्दुओं की जांच करने के बाद तथा अपने कार्यालय नोट के आधार पर भी अपर निदेशक अर्थात श्री विश्वनाथ वैथा ने मामला निदेशक को मंत्री का आदेश चाहने हेतु अग्रेषित किया था।

याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता को पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति देने हेतु अनुमोदन की मांग करने के लिए मंत्री को विभाग के अपर मुख्य सचिव सह-सचिव द्वारा किये गये बार-बार पृष्ठांकन के बावजूद मंत्री ने अपने मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना निराधार तथा अयुक्तियुक्त आधार पर याचिकाकर्ता के पक्ष में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति देने हेतु अनुमोदन के संबंध में उच्च दर्जा वाले अधिकारियों के सभी कार्यालय नोट की अनदेखी करते हुए तथा अभिलेखों की जांच किये बिना आदेश पारित किया था।

याचिकाकर्ता का आगे मामला यह है कि अभिकथित खनिज हेतु पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा पहले दिये गये विकल्प के बाद भी तथा पत्र सं0 1038 दिनांक 06.05.2013 द्वारा उत्तरदातागण द्वारा पहले किये गये बार-बार पत्र व्यवहार के बाद भी निदेशक खान ने उपायुक्त, पलामू से पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति देने के संबंध में अनुमोदन की मांग किया था।

तत्पश्चात पत्र सं0 393/एम दिनांक 20.06.2013 द्वारा उपायुक्त ने याचिकाकर्ता के पक्ष में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति देने हेतु अपना अनुमोदन भेजा था, लेकिन इसके बाद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था तथा मामला किसी अकाट्य कारणों के बिना लंबित है, अतः वर्तमान रिट याचिका दाखिल किया गया है।

3. एतस्मिन् उपरोक्त निर्दिष्ट किये गये अभिवचन के अनुसार रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि खनिज डोलोमाइट, चूना पत्थर, ग्रेफाइट तथा मैग्नेटाइट हेतु याचिकाकर्ता के पक्ष में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति देने हेतु राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के पास 10.05.2007 को तत्पश्चात 08.07.2007 को आवेदन दाखिल करते हुए जाया गया है।

4. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि संबंधित जिला के उपायुक्त ने संसूचना दिनांक 20.06.2013 जैसा उपाबंध-6 के रूप में संलग्न है के अनुसार अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए सिफारिश किया है तथा तत्पश्चात कोई निर्णय नहीं लिया गया है तथा इस प्रकार वर्ष 2017 में, वर्तमान रिट याचिका को दाखिल किया गया है।

5. याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता की ओर से कोई अतिविलम्ब नहीं है क्योंकि पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए सम्यक् आवेदन पहले ही काफी पहले वर्ष 2007 में किया गया है। तबसे, प्राधिकारी ने उक्त आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया है भले ही सिफारिश उपायुक्त, पलामू द्वारा किया गया है। अतः यह उपयुक्त मामला है जहाँ पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए उत्तरदातागण को समादेश जारी किया जाना चाहिए। इसलिए वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत है।

6. तत्प्रतिकूल विद्वान महाधिवक्ता के विद्वान एसी श्री मोहन कुमार दूबे ने प्रतिशपथपत्र में आधार लेते हुए पूर्वोक्त अनुरोध का गंभीरतापूर्वक आक्षेप किया है कि एमएमडीआर में धारा 10-क(2)(ग) में संशोधन के बाद जिसे 12-01-2015 से प्रभावी किया गया है, इस प्रकार याचिकाकर्ता का मामला संशोधित प्रावधान के आधार पर विचार किये जाने के लिए उपयुक्त नही है जैसा धारा 10-क, के अधीन अन्तर्विष्ट है क्योंकि याचिकाकर्ता

द्वारा दाखिल आवेदनों को धारा 10-क, 10-ख तथा 10-ग के प्रावधान के अन्तर्गत उत्कीर्ण अपवाद के अनुसार अधिकार के प्रोद्भवन के अभाव के कारण अनुपयुक्त कहा जायेगा। अतः, विद्वान राज्य अधिवक्ता के अनुसार, वर्तमान मामला तथ्य के कारण खारिज किये जाने के लिए उपयुक्त है कि यह याचिकाकर्ता का स्वीकृत मामला है कि चूँकि उपायुक्त ने पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति जारी करने की सिफारिश किया है, अतः अभिवाक् लिया जा रहा है कि अधिकार प्रोद्भूत किया गया है।

7. आगे निवेदन किया गया है कि मात्र आवेदन को दाखिल किये जाने को पक्षकार के पक्ष में अधिकार को प्रोद्भूत करना नही कहा जा सकता है क्योंकि इसमें, 12-1-2015 से प्रभावी उत्कीर्ण संशोधन के आधार पर, इस प्रकार के पक्षकार के पक्ष में अधिकार के प्रोद्भवन के संबंध में इसमें शर्तों का उपबंध किया गया है। लेकिन, इसमें चूँकि यहाँ मात्र सिफारिश है, इसलिए अधिकार प्रोद्भूत नही हुआ है तथा अब तक दो वर्ष की अवधि की बीच चुका है, इस प्रकार, रिट याचिका अधिनियम 1957 की धारा 10-क(1) के प्रावधान के दृष्टिगत अनुपयुक्त हो गया है।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री तथा उत्तरदाता-राज्य के प्रतिशपथ पत्र में तथा रिट याचिका में किये गये अभिवचनों का परिशीलन किया।

9. याचिकाकर्ता की ओर से विवाद्यक जिसे उठाया गया है यह है कि पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति जारी करने के प्रयोजन हेतु आवेदन का दाखिल किया जाना जिसकी सम्यक् सिफारिश उपायुक्त द्वारा की गई है, 12.01.2015 से अधिनियम 10 वर्ष 2015 के आधार पर धारा-10क के प्रावधान के अन्तर्गत संशोधन के उत्कीर्ण किये जाने के बाद भी अधिकार प्रोद्भूत किया गया है। त्वरित संदर्भ हेतु, धारा 10-क के प्रावधान को निम्नवत् निर्दिष्ट किया जा रहा हैः-

"10क. वर्तमान छूट धारकों तथा आवेदको का अधिकार- *(1) खान तथा खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2015 के आरम्भ होने के तिथि के पहले प्राप्त सभी आवेदन अनुपयुक्त हो जायेगें।*

(2) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्न खान तथा खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2015 के आरम्भ होने के तिथि को तथा से उपयुक्त रहेगाः-

(क) इस अधिनियम की धारा 11क के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनः

(ख) जहाँ खान तथा खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2015 के आरम्भ होने के पहले किसी खनिज हेतु किसी भूमि के संबंध में सर्वेक्षण परमिट या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति दिया गया है, परमिट धारक या अनुज्ञप्तिधारी के पास उस भूमि के उस खनिज के संबंध में खनन पट्टा के बाद पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा, जैसी भी स्थिति हो प्राप्त करने का अधिकार होगा, यदि राज्य सरकार को समाधान होता है कि परमिट धारक या अनुज्ञप्तिधारी, जैसी भी स्थिति हो-

(i) इस प्रकार के मानदण्डों जैसा केन्द्र सरकार द्वारा विहित किया जाय, के अनुसार इस प्रकार के भूमि में खनिज पदार्थ के होने को साबित करने के लिए सर्वेक्षण संक्रिया या पूर्वेक्षण संक्रिया आरम्भ किया है:-

(ii) सर्वेक्षण परमिट या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के निबंधनों तथा शर्तों का कोई उल्लंघन नही किया है।

(iii) यह अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अयोग्य नही हुआ है तथा

(iv) सर्वेक्षण परमिट या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति जैसी भी स्थिति हो के समाप्त होने के बाद तीन माह के अवधि के अन्दर या छह माह से अनधिक इस प्रकार के आगे के अवधि के अन्दर जैसा राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया जाय, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा देने हेतु आवेदन करने में असफल नही हुआ है।

(ग) जहाँ केन्द्र सरकार ने खनन पट्टा देने हेतु पूर्व अनुमोदन को संसूचित किया है जैसा धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित है या यदि आशय पत्र (जिस किसी भी नाम से बुलाया जाय) खान तथा खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2015 के आरम्भ होने के पहले खनन पट्टा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है, खनन पट्टा उक्त अधिनियम के आरम्भ होने के तिथि से दो वर्ष के अवधि में आशय पत्र के या पूर्व अनुमोदन के शर्तों को पूरा करने के अधीन दिया जायेगा।

परन्तु पहले अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी खनिज के संबंध में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय इस उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन नही दिया जायेगा।

10-ख. नीलामी द्वारा अधिसूचित खनिजों के संबंध में खनन पट्टा का दिया जाना- *(1) इस धारा का प्रावधान धारा 10क या धारा 17क द्वारा या पहले अनुसूची के भाग-क या भाग-ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में या उस भूमि के संबंध में जिसके संबंध में खनिज सरकार में निहित नही होता है आच्छादित मामलों के संबंध में लागू नहीं होगा।*

(2) जहाँ किसी क्षेत्र के संबंध में किसी अधिसूचित खनिज के खनिज पदार्थ का होना प्रदर्शित करने के लिए अपर्याप्त साक्ष्य है, राज्य सरकार केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के वाद धारा 11 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार इस प्रकार के क्षेत्र में उक्त अधिसूचित खनिज हेतु पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति सह-खनन पट्टा दे सकता है।

(3) ऐसे क्षेत्रों में जहाँ किसी अधिसूचित खनिज के खनिज पदार्थ का होना केन्द्र सरकार द्वारा निहित रीति से साबित होता है, राज्य सरकार इस प्रकार के अधिसूचित खनिज हेतु खनन पट्टा देने के लिए इस प्रकार के क्षेत्रों को अधिसूचित करेगा, निबंधन तथा शर्ते जिसके अधीन

इस प्रकार का खनन पट्टा दिया जायेगा तथा कोई अन्य सुसंगत शर्त, इस प्रकार की रीति से जैसा केन्द्र सरकार द्वारा विहित किया जाय।

(4) इस प्रकार के अधिसूचित क्षेत्र में किसी अधिसूचित खनिज के संबंध में खनन पट्टा देने के प्रयोजन हेतु, राज्य सरकार आवेदक जो अर्हता शर्ते जैसा इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट है को पूरा करता है का चयन ई-नीलामी सहित प्रतिस्पर्धी बोली के पद्धति द्वारा नीलामी के द्वारा करेगा।

(5) *केन्द्र सरकार चयन हेतु बोली मानदण्डों सहित जिसमें खनिज के उत्पादन में या देय रायल्टी से जुड़े किसी भुगतान में या किसी अन्य सुसंगत मानदण्ड या इनके किसी संयोजन या उपांतरण में एक हिस्सा शामिल हो सकता है निबंधन तथा शर्तों एवं प्रक्रिया विहित करेगा, जिसके संबंध में नीलामी की जायेगी।*

(6) उपधारा (5) के व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्र सरकार भी यदि राय है कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, खनिजों के श्रेणी, खनिज निक्षेप के आकार तथा क्षेत्रफल तथा राज्य या राज्यों, जिसके संबंध में नीलामी की जायेगी के संबंध में निबंधन तथा शर्तों, प्रक्रिया तथा बोली मानकों को विहित करेगा।

परन्तु निबंधन तथा शर्तों में विशेष अंत्य-उपयोग हेतु कोई विशेष खान या खानों का आरक्षण शामिल हो सकता है तथा इस प्रकार के शर्त के अधीन जो इस प्रकार के पात्र अंत्य उपयोगकर्ताओं को नीलामी में भाग लेने की अनुमति देता है।

(7) राज्य सरकार किसी अधिसूचित क्षेत्र में इस प्रकार के अधिसूचित खनिज के संबंध में इस धारा में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार चयनित आवेदक को खनन पट्टा देगा।

10-ग. सामान्य सर्वेक्षण परमिट का दिया जाना- *(1) सामान्य सर्वेक्षण परमिट इस प्रकार के निबंधनों एवं शर्तों के अधीन जैसा केन्द्र सरकार द्वारा विहित किया जाय, पहले अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के अतिरिक्त किसी अधिसूचित खनिज या गैर-अधिसूचित खनिज या विनिर्दिष्ट खनिजों के समूह के संबंध में दिया जा सकता है।*

(2) इस प्रकार के सामान्य सर्वेक्षण परमिट का धारक किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा या खनन पट्टा दिये जाने हेतु किसी दावा को करने का हकदार नही होगा।

10. धारा 10-क(1) के प्रावधान से यह स्पष्ट है, जिसके द्वारा तथा जिसके अन्तर्गत, प्रावधान किया गया है कि खान तथा खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के आरंभ होने के तिथि के पहले प्राप्त सभी आवेदन अनुपयुक्त हो जायेगें।

इसकी उपधारा (2) संशोधित अधिनियम 2015 अर्थात इसमें अनुबद्ध शर्त के आरंभ होने से आवेदन प्राप्त किये जाने के बाद भी इस प्रकार के आवेदन पर विचार न करने के अपवाद को उत्कीर्ण करते हुए सर्वोपरि खण्ड से आरम्भ होता है (क) आवेदन जिसे इस अधिनियम की धारा 11क के अधीन प्राप्त किया गया है (ख) जहाँ खान तथा खनिज (विकास तथा विनियमन) संशोधन अधिनियम 2015 के आरम्भ होने के पहले

किसी खनिज हेतु किसी भूमि के संबंध में सर्वेक्षण परमिट या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति दिया गया है, परमिट धारक या अनुज्ञप्तिधारी के पास खनन पट्टा या खनन पट्टा, जैसी भी स्थिति हो के बाद पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा।

11. इस प्रकार धारा 10-क(2) (ख) के प्रावधान से यह स्पष्ट है कि अनुपयुक्तता खण्ड जैसा धारा 10-क(1) के अधीन है लागू नही होगा यदि सर्वेक्षण परमिट या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति संशोधित अधिनियम 2015 के पहले जारी किया गया है।

इसकी धारा 10-क(2) का खण्ड (ग) अनुज्ञप्ति जारी करने के प्रयोजन हेतु दो शर्तों को अनुबद्ध करता है अर्थात जहाँ केन्द्र सरकार ने खनन पट्टा देने हेतु पूर्व अनुमोदन संसूचित किया है या यदि आशय पत्र (जिस किसी भी नाम से बुलाया जाय) खान तथा खनिज (विकास एवं विनिमयन) संशोधन अधिनियम 2015 के आरम्भ होने के पहले खनन पट्टा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है, खनन पट्टा उक्त अधिनियम के आरम्भ होने की तिथि से दो वर्ष के अवधि के अन्दर पूर्व अनुमोदन के या आशय पत्र के शर्तों को पूरा करने के अधीन दिया जायेगा।

12. पूर्वोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि दो संभाव्यताओं में अर्थात पूर्व अनुमोदन जैसा खनन पट्टा देने हेतु धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित है या यदि आशय पत्र संशोधित अधिनियम 2015 के पहले जारी किया गया है- तब पट्टा शर्तों के पूरा होने के अधीन दो वर्षों के अन्दर दिया जाना चाहिए जैसा पूर्व अनुमोदन या आशय पत्र जैसी भी स्थिति हो अनुबद्ध है।

13. धारा 5 की उपधारा (1) में खनन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा जारी करने के लिए राज्य सरकार को शक्ति प्रदान करने वाला प्रावधान अन्तर्विष्ट है, इसका अर्थ यह है कि, एक मात्र राज्य सरकार पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए सक्षम है, इस प्रकार, जैसा धारा-क(2)(ग) के अधीन अनुबद्ध किया गया है, पूर्व अनुमोदन जो सुस्पष्ट है कि खनन पट्टा देने हेतु अनुमोदन प्रावधान जैसा संशोधित अधिनियम 2015 की धारा 5(1) के अधीन अन्तर्विष्ट है के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

14. इस न्यायालय ने विधिक दृष्टिकोण की विवेचना करने के बाद तथा तथ्यात्मक पहलू पर वापस आते हुए पाया है कि कोई भी शर्त याचिकाकर्ता को प्राप्त नहीं है जिसे धारा 10-क(2)(क) या 10-क(2) (ख) या 10-क(2)(ग) के अधीन अनुबद्ध किया गया है उलटे याचिकाकर्ता का मामला उपायुक्त के सिफारिश पर आधारित है।

15. चूँकि सिफारिश को राज्य सरकार का अनुमोदन नही कहा जा सकता है या आशय पत्र को राज्य की ओर से जारी कहा जा सकता है, इसलिए, रिट याचिकाकर्ता का मामला धारा 10-क(2) के लपेटे में नही आता है उल्टे, हमारे सुविचारित राय के अनुसार रिट याचिकाकर्ता का मामला धारा 10-क(1) के कार्यक्षेत्र में आता है।

इसलिए, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता प्रावधान के दृष्टिगत अनुपयुक्त से जाता है जैसा धारा-क(1) के अधीन है क्योंकि आवेदन संशोधन के पहले दाखिल किया गया है तथा यह अपवाद का मामला नही है जैसा धारा 10-क(2)(क) या 10-क(2)(ख) या 10-क(2)(ग) के अधीन उत्कीर्ण है।

16. धारा 10-क(2) के अधीन एक या अन्य के मामले पर विचार केवल तभी किया जाना चाहिए यदि अधिकार धारा 10-क(2)(क), 10-क(2)(ख), 10-क(2) (ग) के अन्तर्गत प्रोद्भूत हो रहा है।

आवेदक के पक्ष में कथित तौर पर सृजित किये जाने वाले अधिकार के संबंध में इस प्रकार के अनुबंध पर विचार केवल आवेदक के पक्ष में पूर्वेक्षण का पट्टा अनुज्ञप्ति देने हेतु किया जा सकता है, इसका अर्थ यह है कि कानून में उक्त अनुबंध शर्तों के अधीन अधिकार के प्रोद्भवन के मामले में किया गया है जैसा 10-क(2)(क), 10-क(2)(ख), 10-क(2)(ग) के अधीन अन्तर्विष्ट है।

पट्टा अनुज्ञप्ति या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए राज्य के निदेश हेतु अधिकार का प्रोद्भवन सर्वोपरि विचार है। अधिकार का प्रोद्भवन/निहित अधिकार को मा0 शीर्ष न्यायालय द्वारा ***एमजीबी ग्रामीण बैंक बनाम चक्रवर्ती सिंह (2014) 13 एससीसी*** 583 में दिये गये मामले में पैरा 11, 12 तथा 13 में परिभाषित किया गया है, जो निम्नवत् पठित हैः-

"11. खण्ड "निहित" ब्लैक के विधि शब्द शेष (6ठाँ संस्करण) में पेज 1563 पर निहित-निर्धारित, प्रोद्भूत, सुस्थापित आत्यंतिक, पूर्ण के रूप में परिभाषित है। जिसमें पूर्ण स्वामित्व, समाश्रित नहीं के अधिकार की विशेषता है या माना गया है, जो पुरोभाव्य शर्त द्वारा विफल किये जाने के अधीन नहीं है। अधिकार निहित होता है जब उपभोग का अधिकार, वर्तमान या भावी कुछ विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों की सम्पत्ति हो गया है क्योंकि वर्तमान हित; भावी लाभ की प्रत्याशा मात्र या विद्यमान विधियों के पूर्वानुमानित जारी रहने पर आधारित सम्पत्ति में समाश्रित हित "निहित अधिकार" गठित नहीं करता है।

12. बेवस्टर का काम्प्रेहेन्सिव शब्द कोष (अन्तर्राष्ट्रीय संस्करण) में पेज 1397 पर "निहित" भूधृति द्वारा धृत विधि के रूप में परिभाषित है जो संभाव्यता न होने, पूर्ण, स्थायी अधिकार के रूप में विधि द्वारा स्थापित, निहित हित के अधीन है।

13. इस प्रकार निहित अधिकार किसी संभाव्यता से स्वतंत्र अधिकार है तथा इसे संबंधित व्यक्ति के सहमति के बिना छीना नही जा सकता है। निहित अधिकार संविदा, कानून या विधि के प्रवर्तन द्वारा उद्भूत हो सकता है। जब तक प्रोद्भूत या निहित अधिकार पक्षकार द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है, नीतिगत निर्णय/स्कीम को बदला नही जा सकता है।

17. इस न्यायालय ने प्रोद्भूत अधिकार या निहित अधिकार के पूर्वोक्त निर्वचन पर विचार करते हुए तथा इसमें तथ्यात्मक पहलू पर आते हुए कि दावा का आधार एकमात्र उपायुक्त द्वारा किये गये सिफारिश पर है जिसका अर्थ मा0 शीर्ष न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार जैसा एतस्मिन उपरोक्त निर्दिष्ट है अधिकार के प्रोद्भवन के रूप में नही लगाया जा सकता है।

18. इसलिए इस न्यायालय का विचार है कि रिट याचिका में गुणावगुण का अभाव है तथा तद्नुसार खारिज किया जाता है।

19. लंबित अंर्तवर्ती आवेदन (आवेदनों), यदि कोई है, को निपटाया जाता है।

(सुजित नारायण प्रसाद, न्यायमूर्ति)
(नवनीत कुमार, न्यायमूर्ति)

सौरभी
ए.एफ.आर.

यह अनुवाद (शिवाकान्त तिवारी) पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।